>

Title: Need to amend the Gazette Notification dated 16 June, 2008 with a view to regularize colonies which came up after 31.3.2002 in Delhi.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): महोदय, दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों के विनियमन के विनियम से संबंधित भारत के राजपत्र दिनांक 16 जून, 2008 में यह प्रावधान किया गया है कि अनाधिकृत कॉलोनियों/बस्तियां, जिनमें नियमन योजना की औपचारिक घोÂ◌णा की तिथि को 50 प्रतिशत से अधिक प्लाटों पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है, तथापि उपर्युक्त कालोनियों में 31-3-2002 के बाद और नियमन योजना की औपचारिक घोÂ◌णा की तिथि तक बने प्लॉटों को कॉलोनी की नियमन की पात्रता निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखकर की जायेगी। लेकिन, इस बारे में अब तक स्थिति स्पÂट नहीं की गई है। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने भी केन्द्र सरकार को वÂ◌ाऱ 2009 में नियमतिकरण से संबंधित भारत के राजपत्र दिनांक 16 जून, 2008 के बारे में स्पÂट दिशा-निर्देश जारी किए जाने हेतु अनुरोध किया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसी बस्तियों में जिनमें औपचारिक घोÂ◌णा वÂ◌ाऱ 2008 तक उन कालोनियों में 50 प्रतिशत से अधिक मकान बनकर उनमें बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं, से संबंधित कालोनियों की नियमन पात्रता निर्धारित किए जाने से संबंधित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 16 जून, 2008 के नियम 3.3 में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु जरूरी कदम उठायें।